केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
शिक्षासदन, 17, इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, दिल्ली–110002.
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
"ShikshaSadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, New Delhi-110002.

के.मा.शि.बो./शै./अ.नि.एवं प्र. (न एवं अ)/2015 **दिनांक – 28 मई, 2015**

परिपत्र संख्या-शैक्षणिक. 26/2015

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध
सभी विद्यालय प्रमुखों के लिए

अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस,2015

वे समुदाय जिन्हें, तम्बाकू से लाभ होता है और मानव समुदाय जो इस व्यापार को बढ़ावा देते हैं, जिन्हें मिल-जुलकर इकठ्ठा काम करने की आवश्यकता हे ताकि तम्बाकू उत्पाद के गैर-कानूनी व्यापाकर को समाप्त किया जा सके। इस विषय में कोई दूसरी राय नहीं कि इस व्यापार का मानवजीवन की गुणवत्ता, मानव स्वास्थ्य, वैधता, राष्ट्रीय अर्थवरूवस्था और सरकार पर वैश्विक असर है। आगे यह नोट किया जाए कि इसका अवैध व्यापार केवल उच्च आय राष्ट्रों में ही समस्या नहीं है: .ज्यादातर संसार के सभी देश किसी न किसीरूप में अवैध व्यापार से पीड़ित हैं। अवैध तम्बाकू व्यापार के द्वारा क्षडी की गयी समस्या की प्रतिक्रिया स्वरुप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने नवंबर, 2012 में चर्चा के उपरांत "प्रोटोकॉल/टु इलिमिनेट इलिसिर टूडे इन टोबेको ट्रेड" को स्वीकार/अंगीकार किया।

वैश्विक तम्बाकू महामारी से हर वर्ष लगभग6 मिलियन लोग मरते हैं जिमें से 600,000 गैर धूम्रपान वाले लोगा परोक्षरूप से धूम्रपान करके मर रहे हैं। यदि हम कार्यवाही नहीं करेंगें तो 2030 तक यह महामारी प्रतिवर्ष8 मिलियन से अधिक लोगों की जान लेगी। इनमें से 80% से अधिक निवारी मृत्यु दर उन लोगों में से होगी जो निम्न या मध्यम आदमी वाले देशों में रहते हैं। इस संख्या के उल्लेखनीय ढंग से बढने की आशंका है।

उद्धरण – विश्व सवास्थ्य संगठन अभियान

*विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित **अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस**,हर वर्ष 31मई को मनाया जाता है ताकि वैश्विक स्वास्थ्य पर आसन्न संकट पर प्रकाश डाला जा सके। इस आशंका के बढ़ने का कारण विशेष रूप से युवाओं में, आसानी से तम्बाकू उत्पाद का मार्केट में उपलब्ध होना है | अतः के.मा.शि.बो. विद्यालयों की सभी पहलों को प्रोत्साहित करने के लिए कटिबद्ध है ताकि स्कूल इस खतरनाक प्रचलन को रोक सकें | विद्यालयों की मुख्य जिम्मेदारी है कि वे अपने विद्यार्थियों, कर्मचारियों और समुदाय को तम्बाकू के नकारात्मक प्रभाव के प्रति सजग करें | **बोर्ड सभी विद्यालयों को निर्देशित करता है देता है कि भारतीय तम्बाकू नियंत्रण नियम COTPA 2003 की धारा 6 जो तम्बाकू उत्पादों की बिक्री को शैक्षिक संस्था की बाहरी दीवार के 100 मीटर के दायरे में रोकती है, को स्कूल के बाहर लगाए गए प्रदर्शन बोर्ड के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से लागू करे |***

प्रभावशाली जागरूकता को विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है, जहाँ विद्यार्थी अपना ज्ञान, पर्यवेक्षण और सृजनात्मकता को तत्काल विभिन्न माध्यमों से प्रयोग में ला सकते हैं| ये तम्बाकू –प्रयोग के भावी खतरों को निर्मूल करने में लंबे समय तक सहायक होंगो |

विषय वस्तु : तम्बाकू प्रयोग के हानिकारक प्रभाव *[विवरण के लिए देखिये संलग्नक 01]*

- पोस्टर निर्माण
- निबंध लेखन
- नुक्कड़ नाटक/स्किट
- जिंगल/गीत

प्रत्येक प्रतियोगिता की केवल **सबसे अच्छी दो प्रविष्टियाँ**, पूरे पते के साथ ,संपर्क नंबर और ई मेल आई डी के साथ प्रधानाचार्य द्वारा अभिप्रमाणित हो **, 20 जुलाई,2015 या उससे पहले** जैसा कि हर गतिविधि के आगे संलग्नक में निर्दिष्ट है , जमा करा दी जाएँ |

- **निबंध** सॉफ्ट कॉपी के रूप में एम एस वर्ड फाइल/ स्कैंड डोक्युमेंट rajeswary.cbse01@gmail.com पर ई मेल करें |
- **जिंगल/सॉंग/स्किट** की वीडियोग्राफी वीसीडी पर , टेक्स्ट/स्क्रिप्ट के साथ प्रदर्शन और **पोस्टर** हार्ड कॉपी के रूप में निम्नलिखित अधिकारी को भेजें –

सुश्री पी. राजेश्वरी, शिक्षा अधिकारी [अंग्रेजी]
"शिक्षा सदन"
17, राऊज एवेन्यू , नई दिल्ली – 110002

- प्रत्येक प्रतियोगिता में सर्वोत्तम 30 प्रविष्टियाँ, सम्मानित विशेषज्ञों के पैनल (सूची) द्वारा चयनित की जाएँगी | परिणाम बोर्ड की शैक्षिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा |
- विजेताओं को बोर्ड एक प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा |
- सर्वोत्तम वीडियो को के.मा.शि.बो. चैनल की वेबसाइट पर यू ट्यूब पर अपलोड किया जाएगा

कृपया नोट करें : निर्दिष्ट तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियाँ अथवा विशेष नियमों का पालन करने में असफल रहने पर अमान्य घोषित किये जाएँगे | फोटो के साथ रिपोर्ट (शीर्षक के साथ) के.मा.शि.बो.के त्रैमासिक विज्ञप्ति सेनबोसेक में प्रकाशन के लिए भेजी जाए |

आगे की जानकारी के लिए कृपया **: 011-23231248** पर संपर्क करें या **rajeswary.cbsee01@gmail.com** पर ई मेल करें |

(सुगंध शर्मा)

अपर निदेशक और प्रभारी (अनुसंधान एवं नवाचार)

इस निवेदन के साथ कि सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना देने के लिए प्रतिलिपि प्रेषित करने का कष्ट करें।

1 आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इन्सटिट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
2 आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी -15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201307
3 शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
4 निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
5 शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
6 निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
7 शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
8 राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह।
9 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
10 सेना शिक्षा के अपर निदेशक जनरल, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली-110001
11 निदेशक, एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय, FDRC बिल्डिंग नं 202, शंकर विहार (नियर ए पी एस), दिल्ली कैंट-110,010
12 सभी क्षेत्रीय निदेशक। के.मा.शि.बो. के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति भेजने के अनुरोध के साथ।
13 सभी अपर निदेशक और प्रमूख, शैक्षिक और प्रशिक्षण यूनिट, सीबीएसई
14 सभी अपर निदेशक और प्रमूख, अनुसंधान और नवाचार यूनिट, सीबीएसई
15 सभी सहयोगी प्रोफेसर और संयुक्त निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
16 सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सह-निदेशक, वोकेशलन सेल, के.मा.शि.बो.
17 के.मा.शि.बो. की वेबसाइट पर इस परिपत्र को अपलोड करने के अनुरोध के साथ शिक्षा अधिकारी (CBSE-i)
18 सभी सहायक प्रोफेसर एवं संयुक्त निदेशक, के.मा.शि.बो.
19 सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
20 उप निदेशक (परीक्षा एवं सुधार), के.मा.शि.बो.
21 सहायक पुस्तकाध्यक्ष , के.मा.शि.बो.
22 जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
23 हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.
24 अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
25 सचिव, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
26 परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के अनुभाग अधिकारी के निजी सचिव
27 निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
28 निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के निजी सहायक

एसोसिएट प्रोफेसर एवं अपर निदेशक(नवाचार एवं अनुसंधान)

संलग्नक -1

नियम और अधिनियम

विषय : तम्बाकू प्रयोग के हानिकारक प्रभाव

पोस्टर डिजाइनिंग :

- स्पष्ट सन्देश
- माप: ए--4 साइज़ चार्ट पेपर
- समय सीमा : 2 घण्टे
- योग्यता: कक्षा VI-VIII
- हिन्दी या अंग्रेज़ी

परिवर्जन करें

- कोई अनुचित अंश
- निंदक भाषा
- किसी समुदाय के , व्यवसाय,धर्म,या लोगों के समूह के प्रति पूर्वाग्रह
- अनेक चित्रों और संदेशों से अव्यवस्था

मूल्यांकन मानदंड

- विषयवस्तु की प्रासंगिकता
- विज़ुअल अपील (रंगों का प्रयोग/छवियाँ/पेपर कतरण आदि)
- उद्देश्य की स्पष्टता
- नवीन प्रक्रिया और सृजनात्मकता
- उचित स्लोगन/नारा /प्रचार-वाक्य/शीर्षक

निबंध-लेखन [800 – 1000 शब्द]

- उचित शीर्षक देना
- समय सीमा : 1.5 घंटा
- शब्द सीमा : प्रत्येक प्रतिभागी की केवल एक प्रविष्टि जिसकी शब्द-सीमा 800-1000 शब्द हो
- योग्यता :- कक्षाएँ IX – X
- हिन्दी या अंग्रेज़ी

परिवर्जन करें

- अशिष्ट भाषा
- साहित्यिक चोरी
- किसी समुदाय के , व्यवसाय,धर्म,या लोगों के समूह के प्रति पूर्वाग्रह
- निबंध मौलिक होना चाहिए

मूल्यांकन पद्धति

- विषय-वस्तु की मौलिकता
- औचित्य और सटीकता
- समय-सीमा का अनुपालन
- निबंध का तार्किक प्रवाह (भूमिका , विस्तार , निष्कर्ष)
- विचारों की स्पष्टता
- विशुद्धता और प्रवाह
- एक मौलिक शीर्षक
- हिन्दी या अंग्रेज़ी

नुक्कड़ नाटक/ स्किट [10 प्रतिभागियों से कम नहीं]

- उचित शीर्षक आपूर्ति

- समय सीमा 4-5 मिनट
- केवल समूह – प्रत्येक दल : 10 छात्रों के दल या अधिक छात्रों की केवल एक प्रविष्टि
- योग्यता :- IX-X
- स्क्रिप्ट हिन्दी या अंग्रेज़ी

परिवर्जन करें

- एक उचित विषय-वस्तु
- अशिष्ट भाषा
- किसी समुदाय के , व्यवसाय,धर्म,या लोगों के समूह के प्रति पूर्वाग्रह
- अनेक संदेशों से अव्यवस्था

मूल्यांकन पद्धति

- विषय-वस्तु की सटीकता
- स्पष्ट, प्रभावशाली संवाद अदायगी
- दृश्य अपील (साधारण पहनावे और सहायक सामग्री आदि का प्रयोग)
- सन्देश की स्पष्टता
- नव-विचार और रचनात्मक दृष्टिकोण
- समग्र प्रस्तुतीकरण की अपील
- हिन्दी या अंग्रेज़ी

जिंगल/गान 2 मिनट तक कम से कम 10 प्रतिभागी

- एक उचित शीर्षक प्रदान करना
- समय-सीमा : 2 मिनट
- केवल समूह : 10 या अधिक विद्यार्थियों की टीम की केवल एक प्रविष्टि
- योग्यता :- कक्षाएं VI –VIII
- विषयवस्तु : हिन्दी या अंग्रेज़ी में

परिवर्जन करें –

- कोई भी अनुचित विषय
- अशिष्ट भाषा
- किसी समुदाय के , व्यवसाय,धर्म,या लोगों के समूह के प्रति पूर्वाग्रह
- अनेक संदेशों से अव्यवस्था
- साहित्यिक चोरी

मूल्यांकन पद्धति

- विषय-वस्तु की सटीकता
- सामंजस्यपूर्ण/संगीतमय प्रस्तुति
- सन्देश की स्पष्टता
- प्रगतिशील और नवीन/मौलिक धुन और चित्र कल्पना
- समस्त जिंगल/गीत प्रस्तुति की अपील